# राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

## (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

**पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन**
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल–462016 (म.प्र.)
बेवसाईट– http://www.mpseiaa.nic.in
दूरभाष नं. – 0755–2466970, 2466859
फैक्स नं. – 0755–2462136


No: 57 / SEIAA/2022
Date: 7/4/22

प्रति,

**श्री अशोक विश्वकर्मा,**
जलपा वार्ड, गौतम लेन,
जिला कटनी (म.प्र.)

**विषयः– प्रकरण कमांक 6361/2019** – परियोजना प्रस्तावक श्री अशोक विश्वकर्मा, जलपा वार्ड, गौतम लेन, जिला कटनी (म.प्र.) द्वारा लेटेराईट एंड फायरक्ले खदान (ओपनकास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता लेटेराईट 16526 एवं फायरक्ले 2636 टन प्रतिवर्ष, रकबा 5.360 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 04, ग्राम मोहला, तहसील मझोली, जिला जबलपुर (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

**प्रकरण में SEAC समिति द्वारा 557वी बैठक दिनांक 03.03.2022 में अनुशंसा उपरांत राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण 713 वी बैठक दिनांक 23.03.2022 में निम्ननुसार निर्णय लिया गयाः–**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रकरण में प्रस्तुत ई.आइ.ए. रिपोर्ट में वायु, जल, मिट्‌टी एवं ध्वनि प्रदूषण के मानिटरिंग के साक्ष्य मय फोटोग्राफ प्रस्तुत नही किये गये है। अतः परियोजना प्रस्तावक अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार सहित आगामी SEIAA बैठक में मॉनिटरिंग रिपोर्ट के फोटोग्राफ सहित स्पष्टीकरण हेतु उपस्थित होवे। तदानुसार प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

उपरोक्त निर्णय अनुसार आपको सूचित किया जाता है कि अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार एवं मॉनिटरिंग रिपोर्ट के फोटोग्राफ सहित स्पष्टीकरण हेतु सिया समिति की आगामी बैठक में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

**(आलोक नायक)**
प्रभारी अधिकारी